तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज भवानीसिंह बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बापिणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 112/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.07.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी भवानीसिंह पुत्र हमीरसिंह कनिष्ठ सहायक पता पुलिस अधीक्षक कार्यालय जैसलमेर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.03.19 में उसके द्वारा (1) नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम निम्बों का तालाब पटवार हलका बेदु भू.अ. निरीक्षक हलका बापिणी, जोधपुर की छाया प्रति संलग्न भेजी जा रही है जिस पर भंवरकंवर के कोई जीवित संतान शपथ पत्र के द्वारा नहीं होना पाया गया है का इन्द्राज पटवारी द्वारा किया हैए उक्त शपथ पत्र की छाया प्रति सत्यापित, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बापिणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बापिणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार बापिणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अपील के साथ सलंग्न कागजात से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार बापिणी ने अपने पत्रांक/भू.अ. /सू.अ./2019/437 दिनांक 02.04.19 के द्वारा प्रार्थी को सूचित किया गया कि आप द्वारा वांछित शपथपत्र नामान्तरकरण परत के संलग्न नहीं होने से उक्त शपथ पत्र की सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी को तहसीलदार बापिणी द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने बाबत् सूचित किया जा चुका है अतः ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित नहीं रही है, परिणामस्वरूप अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	